न्यायालय–सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.), देसूरी जिला–पाली

पिठासीन अधिकारी–श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या–304 / 2015
तारीख निर्णय– 24 / 12 / 2019

प्रार्थीगण

हकाराम पुत्र केनाजी उर्फ गेनाजी जाति–मेघवाल, निवासी–गांवाडा तहसील–रानी, जिला–पाली (राज.)

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये श्री तहसीलदार देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136भू–राजस्व अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1– प्रार्थी की ओर से– वकील शंकरलाल मीणा ।
2–अप्रार्थी तहसीलदार देसूरी उपस्थित।

निर्णय **दिनांकः– 24 / 12 / 2019**

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सरहद गांव ढेलडी, पटवार मण्डल केसूली तहसील–देसूरी के पुराने खसरा नम्बर 121 रकबा 104.17 बीघा जमीन आई हुई है जिसमें मे प्रार्थी को 5 बीघा जमीन दिनांक 14.05.1976 को भू–आवंटन आदेश राजकीय सिवाय चक भूमि में हुआ था। उसी आंवटन आदेश के अनुरूप कब्जा दिया गया। उक्त खसरा नम्बर 121 के नये खसरा नम्बर 236 रकबा 0.8100 हैक्टर बने। जिस पर मै वर्तमान में काबिज हूँ। उक्त खसरा नम्बर का राजस्व रिकोर्ड में जरिये नामान्तरकरण संख्या 78 दिनांक 06.09.1976 को गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया गया। मगर सेटलमेन्ट के कर्मचारीयो की गलती से दौराने सेटलमेन्ट कार्यवाही खसरा नम्बर 236 रकबा 0.8100 हैक्टर को राजस्व रेकर्ड में सिवाय चक दर्ज कर दिया गया। अतः पुराने खसरा नम्बर 121 रकबा 104.17 बीघा में से मुझ प्रार्थी के नाम से 5 बीघा भूमि आंवटन होने बाद कब्जा काश्त होने से एवं राजस्व रेकर्ड में गैर खातेदार घोषित करने के बावजूद सेटलमेन्ट कर्मचारीयों द्वारा मेरा नाम हटा दिया गया व सिवाय चक कर दिया गया है जो लिपिकीय त्रुटि है। मुझ प्रार्थी को गैर खातेदार एवं खातेदार घोषित करने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। बाद तलबी के अप्रार्थी की ओर से दिनांक 20.05.2016 को जवाब पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 15:32:41 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अप्रार्थी की ओर से प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र का जबाब इस प्रकार पेश कर निवेदन किया कि ग्राम ढेलडी के गत खसरा नम्बर 121 में से 5 बीघा भूमि दिनांक 14.05.1976 को हकीया पुत्र गेना जाति–भाम्बी को आंवटन होकर जरिये नामान्तरकरण सं 78 दिनांक 14.05.1976 को दायर होकर गैर खातेदार दर्ज किया गया। हाल खसरा नम्बर 236 रकबा 0.8100 हैक्टर गत खसरा नम्बर 121 मिन से बने है न कि खसरा नम्बर 121 से बने है। हाल खसरा नम्बर 236 रकबा 0.8100 हैक्टर राजकीय सिवायचक भूमि है जिसकी किस्म नहरी दोयम है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाए।

वकील प्रार्थी व सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्रके समर्थन में राजस्व अधिकार अभिलेखों की जमाबन्दी की प्रमणित प्रतियां प्रस्तुत नही की है।

इस धारा के अन्तर्गत अधिकार अभिलेख से संबंधित केवल लिपिकीय त्रृटि या जहॉ पक्षकार किसी त्रुटि के लिये सहमत हो, उसी को ही सुधार किया जा सकता है, परन्तु अप्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा भी अपने जवाब में हाल खसरा नम्बर 236 रकबा 0.8100 हैक्टर गत खसरा नम्बर 121 मिन से बने है न कि खसरा नम्बर 121 से बनना व्यक्त किया है एवं प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्त विवेचन मे न्यायालय की राय मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया खातेदारी अधिकारों की घोषणा के संबंध में होना प्रतीत है। जो धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत देय नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को सरे इज्लास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 15:52:41 IST
Reason: SelfAttested